



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियोगक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

कंगाल...../मप्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2023-24 Government of Madhya Pradesh

//आदेश//

12/12/23

क्र. २७८

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित २०१३ एवं २०१६ की घारा ९(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित की गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के अधिकार पर आधीरगी की १८७ वीं सभा की बैठक दिनांक ०४/१०/२०२३ में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में अभ्युदय विश्वविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र २०२३-२४ से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :—

क्र.	संकाय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	बहुमान में स्वीकृत सीट संख्या (५ वीं अनुसार)	प्रस्तावित नवीन/ शुद्धी सीट संख्या	स्वीकृत मूल सीट संख्या	प्रकाशित अध्यादेश क्रमांक
1	Faculty of Agriculture	B.Sc. Agriculture Hons	—	300	180	46
		M.Sc. Agriculture (Agronomy)	—	30	30	48
		M.Sc. Agriculture (Entomology)	—	30	30	
		M.Sc. Agriculture (Soil Science)	—	30	30	
		M.Sc. Agriculture (Horticulture)	—	30	30	

शर्त :—

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों के मापदण्डों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक रूप से नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियोगक परिषदों की गाईडलाइन के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाइन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण करना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः करना होगा।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ड्रेंगिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रेकिंग संख्या/एजेंसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
- यूजी.सी. के प्राक्कागानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संवार्द्धित करना होगा।
- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियन्त्रिता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जायेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

प्राप्ति

मान्यताप्राप्तिविभाग, भोपाल

दिनांक /12/2023

प्रकाशक...../म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2023-24

प्रतिलिपि—

- निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो. म.प्र. नि.वि.वि.आयोग,भोपाल।
- कुलसचिव, अभ्युदय विश्वविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी शुल्क नियन्त्रन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- मूल नस्ती।

प्राप्ति

मान्यताप्राप्तिविभाग, भोपाल